



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062024-254556
CG-DL-E-05062024-254556

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 5, 2024/ज्येष्ठ 15, 1946

No.289]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 5, 2024/JYAISHTHA 15, 1946

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2024

सा.का.नि. 310(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 में और आगे संशोधन करने के लिए, केंद्र सरकार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इन नियमों का प्रारूप इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित करती है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तिथि से तीस दिनों कि अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो, उसे श्री विशाल कुमार गुप्ता, अवर सचिव, कमरा न.514 ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली -110011 पते पर या ईमेल regulation@fssai.gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- (i) इन नियमों का नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रथम संशोधन) नियमावली 2024 है।
- (ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. “खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 में “जांच करने” से संबंधित नियम 3.1 के उप- नियम 3.1.1 में खंड (5) को, निम्नलिखित खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“5. न्याय निर्णयाधीन अधिकारी के पास अधिनियम की धारा 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66 और 67 के तहत दंडनीय अपराधों के अधिनिर्णयन के प्रयोजनार्थ जांच करने की शक्ति होगी।”

[फा. सं.पी.15014/13/2019-एफआर]

राजीव वधावन, सलाहकार (लागत)

नोट:- ये मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का. नि. 362(अ), दिनांक 5 मई, 2011 के तहत प्रकाशित किए गए थे और इसमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 33(अ) दिनांक 16 जनवरी, 2023 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2024

G.S.R. 310(E).—The following draft of certain rules further to amend the Food Safety and Standards Rules, 2011, which the Central Government, proposes to make, in exercise of powers conferred by section 91 of the Food Safety and Standards Act, 2006, (34 of 2006) is hereby published for the information of persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Vishal Kumar Gupta, Under Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Room No.514-A Wing, Nirman Bhawan, New Delhi-110011, or may be sent through e-mail at regulation@fssai.gov.in

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to said draft rules, before the expiry of the period so specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Food Safety and Standards (First Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Food Safety and Standards Rules, 2011, in rule 3.1, in sub-rule 3.1.1 relating to ‘Holding of inquiry’, for clause (5), the following clause shall be substituted, namely:

“5. The Adjudicating Officer shall have power to hold an inquiry for purpose of adjudicating offences punishable under sections 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66 and 67 of the Act.”

[F. No.P.15014/13/2019-FR]
RAJIV WADHAWAN, Advisor (Cost)

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 362(E), dated the 5th May, 2011 and last amended vide notification number G.S.R. 33(E), dated the 16th January, 2023.